

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा
(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 107/2021/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक: 06.09.2021
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

शंकरलाल आ0 जाति गुर्जर निवासी घट्टी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेश वैष्णव अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पोंड

::निर्णयः

दिनांक 03.03.2025

अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 93/2020 बउनवान शंकरलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2020 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 162/2019 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को वाके ग्राम घट्टी की सरकार भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 में खसरा संख्या 15 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 125/- रुपये तावान से दण्डित किये जाने के विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2020 से अपील अपीलांट खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि परीक्षण न्यायालय ने आस-पास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किये बिना व पूर्ण शहादत लिये बिना व पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को दण्डित करने में त्रुटि की है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना सिविल कारावास की सजा से सजायाब करने में त्रुटि की है। अपीलांट का पश्चातवर्ती कोई अतिक्रमण नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना मात्र कयास के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथावत रखने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है।

- वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज नहीं करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पों परोकार सरकार सुनी गई।
 - 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना सिविल कारावास की सजा से सजायाब करने में त्रुटि की है। अपीलांट का पश्चात्वर्ती कोई अतिक्रमण नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है। अपीलांट एक 75-80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है एवं इस न्यायालय में भी अपीलांट यह शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा है कि ग्राम अमलावदा खरण की खसरा सं 15 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म सिवायचक पर से कब्जा छोड़ दिया था तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ करते हुए निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।
 - 4 रेस्पों परोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम घट्टी की सरकार भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 में खसरा संख्या 15 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 125/- रुपये तावान से दण्डित किये जाने का न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 03.01.2020 पारित किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा भी न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रकरण सं 162/2019 में धारा 91 अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 03.01.2020 को यथावत रखे जाने का निर्णय दिनांक 13.03.2020 से अपील अपीलांट खारिज की गई। अतः अपील खारिज की जावे।
 - 5 प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र संलग्न कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.03.2020 को निर्णय पारित कर अपील खारिज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज किये जाने के उपरांत तत्समय कोरोना महामारी के कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। इस प्रकार अपीलांट विवेचित उपरोक्त तर्क के संबंध में रेस्पों परोकार सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।
 - 6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पों परोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार,

छबड़ा द्वारा अपीलान्त को ग्राम घट्टी की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 में खसरा संख्या 15 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 125/- रूपये तावान से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 03.01.2020 पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां अपील पेश किये जाने पर अपील निर्णय दिनांक 13.03.2020 से खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलान्त का तर्क रहा है कि अपीलान्त का पश्चातवर्ती कोई अतिक्रमण नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्त की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है। वर्तमान में अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है एवं इस न्यायालय में भी अपीलान्त यह शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा है कि ग्राम अमलावदा खरण की खसरा सं 15 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म सिवायचक पर से कब्जा छोड़ दिया तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्त द्वारा यह वर्णित किया गया है कि उसके द्वारा प्रकरण में जुर्माना राशि जमा करवा दी गई है तथा वर्तमान में कोई कब्जा प्रश्नगत आराजी पर अपीलान्त का नहीं है तथा इस बाबत् न्यायालय हाजा में शपथ-पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए सहानुभूतिपूर्व रूप अपनाते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 13.03.2020 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि "ग्राम घट्टी की विवादित आराजी खसरा संख्या 15 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक पर से अपीलान्त द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बाबत् अपीलान्त परीक्षण न्यायालय तहसीलदार छबड़ा में शपथ-पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलान्त का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, छबड़ा स्वयं अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलान्त/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलान्त का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

- 7 निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
 संभागीय आयुक्त
 कोटा संभाग, कोटा